माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल,
रिट याचिका (एस0/एस0) संख्या–808 सन् 2021

प्रताप ढाली व अन्य ..... याचिकाकर्तागण।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... उत्तरदातागण।

याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री भगवत मेहरा।
उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त सी0एस0सी0 अधिवक्ता– सुश्री अंजली भार्गव
उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री पंकज पुरोहित

माननीय जस्टिस शरद कुमार शर्मा, (मौखिक)

याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं0–2 के साथ सहायक कृषि अधिकारी, ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के इच्छुक रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी, ग्रेड–3 के उपरोक्त पद के लिये चयन की प्रक्रिया संचालित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं0–4, यानि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया था और इसकी सिफारिश की गयी थी। सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड–3 के तत्कालीन 280 पदों के विरूद्ध चयन प्रक्रिया का सहारा लेने का अधीयाचन जारी किया गया था।

2. विज्ञापन के अनुसरण में, जो दिनांक 02.08.2019 को जारी किया गया था, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि उन्होंने सभी पात्रता मानदण्डों को पूरा किया था इसलिये उन्होने इसके लिये आवेदन किया था और उक्त विज्ञापन के अनुसार चयन की प्रक्रिया का सहारा लिया था। अंतः जिन पदो को भरने का प्रस्ताव है, जिन्हें शुरू में 280 पदों के लिये अधिसूचित किया गया था, अब घटाकर केवल 150 तक सीमित कर दिया गया है और इसलिये उनकी शिकायत सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड–3 के 130 पदों को न भरने तक ही सीमित है। जिसका प्रारम्भ में विज्ञापन किया गया है, मनमाना और अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पदों की उक्त कटौती बिना कोई ठोस कारण बताये की गयी है और इसलिये यह मनमाना और अवैध होगा।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देने से पहले, यह न्यायालय दिनांक 02.08.2019 के विज्ञापन की नियमों और शर्तों से निपटना उचित समझता है, विशेष रूप से जहां विज्ञापन का प्रारम्भिक खण्ड एक नोट डालता है कि, ''रिक्तियां बढ़ायी या घटायी जा सकती है।'' इतना ही नहीं, यदि उक्त विज्ञापन के खण्ड 26 को ध्यान में रखा जाता है, तो यह एक बार फिर उत्तरदाताओं के उक्त पदों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो दिनांक 02.08.2019 के विज्ञापन के अनुसार चयन के प्रयोजनों के लिये विज्ञापित किये गये थे। विज्ञापन का खण्ड 26 इस प्रकार है किः–

''26. इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गयी चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटायी या बढ़ायी जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से सम्बन्धित अन्य शर्ते व पात्रतायें स्पष्ट है। इन्हें भलीभांति देखकर आवेदन करें। आवेदन–पत्र भरे जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।''

4. उक्त चयन प्रक्रिया समाप्त हो गयी थी, और अंततः उत्तरदाताओं ने विवादित आदेश संख्या–1143, दिनांक 16.12.2020 के आधार पर, विज्ञापित किये गये कुल 280 पदों में से केवल 150 पदों को भरने की सिफारिश की थी और यदि पदों की संख्या कम करने के कारणों को ध्यान में रखा जाता है, जैसा कि आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2020 में दिया गया है, यह विभिन्न विभागों के विभागीय पुनर्गठन और एकीकरण के कारण था, जो कृषि निदेशालय के अनुसार प्रक्रिया में थे इसलिये पदों को भरने के लिये अनुपात और आवश्यकता को घटाकर 150 पद कर दिया गया। याचिकाकर्ता दिनांक 16.12.2020 को लिये गये उक्त निर्णय के खिलाफ अपनी शिकायत उठायी है और आरोप लगाया है कि यह गैर–प्रशंसनीय कारण है और इसलिये मनमाना है।

5. सर्वप्रथम, इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि पदों में कटौती का कार्य मनमाना है, यह तर्क इस कारण से असमर्थनीय है

कि याचिकाकर्ता में से कुछ विज्ञापन दिनांकित 02.08.2019 के अनुसरण में उम्मीदवार थे और इसके साथ ही वे सब स्वतः ही विज्ञापन दिनांकित 02.08. 2019 के खण्ड 26 सहित सभी शर्तों से बाध्य थे। इस प्रकार विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया में पदो को बढ़ाने या घटाने के लिये उत्तरदाताओ को खुली छूट थी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जो तर्क दिया है, वह यह है कि दिनांक 16.12.2020 के पत्र में दिये गये पदों को कम करने का कारण पर्याप्त नहीं है, और यह उन कारणों के औचित्य पर भरोसा नहीं करता है। पदों की संख्या में कमी करना अस्वीकार्य है, क्योंकि यह हमेशा नियोक्ता की पसन्द होती है कि जब आकस्मिताओं के एक विशेष सेट में, जहां एक विभागीय पुनर्गठन हो रहा है और प्रगति पर है, तो विभाग को उनकी संभावित आवश्यकता का आंकलन करना होगा। सहायक कृषि अधिकारी, ग्रेड–3 पर जिन पदों को भरने की आवश्यकता थी, तो विभाग को उनकी संभावित आवश्यकताओं का आंकलन करना होगा। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि पदों की संख्या को 280 से 150 पदों तक कम करने वाला आदेश बिना किसी कारण के था, क्योंकि विभाग के विन्यास में स्वयं 280 पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता को कम दिया होगा या करने की संभावना है जैसा कि विज्ञापन दिनांकित 02.08..2019 में विज्ञापित किया गया था।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि इसी तरह का मुद्दा इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष उठा था, और समन्वय पीठ ने अपने फैसले में पदों की कटौती के पहलू की निन्दा की है, जिसे चयन के लिये विज्ञापित किया गया था।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति का ससम्मान अवलोकन किया गया, मैं उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धान्तों से सहमत नहीं हूं और वर्तमान परिस्थितियों में यह बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, इस कारण कि यदि उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या–7 में दिये गये तर्क पर विचार किया जाता है, तो इसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय के पैरा सं0–5 में दिये गये तर्क के साथ पढ़ा जाना चाहिये। पदों में कमी का कारण पदों के प्रतिशत का विभाजन या आवंटन था, जिन्हें पदोन्नति के

माध्यम से और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिये उपलब्ध कराया गया था, जिससे कि आरक्षण पर इसका प्रभाव पड़े। यह वह मामला नहीं है जो इस मामले में शामिल तथ्यों से सम्बन्धित हो।

8. मेरा विचार है कि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निस्तारित किया गया विवाद्यक इस विवाद से अलग था, जिस पर वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की जा रही है। इसलिये, उक्त निर्णय में दिये गये सिद्धान्तों को वर्तमान मामले की परिस्थितियों में व्यापक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जो उस मामले से बिल्कुल अलग है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपने निर्णय दिनांकित 12.06.2013 में निस्तारित किया था।

9. इसके अलावा, इस न्यायालय का यह भी मत है कि यह हमेशा नियोक्ता की चुनाव पर है कि वह रिक्तियों के उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हें खाली रख सकते हैं। संभावित उम्मीदवार या आंकाक्षी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के अधिकार के माध्यम से, रिक्त पदों को भरने के लिये नियोक्ता को परमादेश रिट के माध्यम से निर्देश देने की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी यह राय है कि यह हमेशा एक कार्यकारी निर्णय है जो कि विभाग द्वारा लिया जाता है। कार्यकारी निर्णय या कार्यवाहियों को न्यायिक निर्देशों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब यह विभाग में कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकता के आंकलन से सम्बन्धित हो।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया था कि जो पद यानि 130 पद नहीं भरे गये थे, उन पदों को सम्प्रेषण के कारण खाली रखना उचित नहीं है कि यदि सम्प्रेषण, जिसे रिकॉर्ड में पूरक शपथ पत्र दिनांकित 31.01.2020 के माध्यम से ध्यान में रखा गया है। वास्तव में सहायक कृषि अधिकारी, ग्रेड–3 की कुल स्वीकृत कैडर शक्ति 483 पदों के मुकाबले, यह देखा गया कि 300 पद रिक्त है, मात्र रिक्तियां होना, नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है, भले ही कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित

हो।

11. उस स्थिति में, आवश्यकता जिसे आकस्मिक रूप से भरने की बात कही गयी थी, केवल 150 पदों की आंकी गयी थी। दिनांक 31.01.2020 का यह संचार, जो सचिव, कृषि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किया गया है, एक संचार जो 150 पदों की आवश्यकता का आंकलन करने के बाद जारी किया गया था, जिसकी आकस्मिक आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, इस विवाद को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिये कि याचिकाकर्ता सहायक कृषि अधिकारी, ग्रेड–3 के रूप में चयनित होने के उम्मीदवार थे, और पद को कम करने का विवादित आदेश दिनांकित 16.12.2020 को जारी किया गया है। इस स्तर पर एक रिट याचिका की प्राथमिकता, दिनांक 16.12.2020 के आक्षेपित आदेश के अनुसरण में रिक्तियों को कम करने के अधिनियम पर सवाल उठा रही है। याचिकाकर्ताओं के पास ऐसा कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है कि वह उत्तरदाताओं को विज्ञापन दिनाकित 02.08.2019 के विज्ञापन के खण्ड 26 के निहितार्थों के कारण, उन पदों को भरने के लिये कहे, जिन्हें विज्ञापित किया गया था। उनका तर्क इस दृष्टिकोण से भी है, कि जिस सूचना दिनांकित 24.06.2021 को उन्होने पूरक शपथ पत्र के माध्यम से पत्रावली पर प्रस्तुत किया है वह कृषि निदेशक और सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग के बीच की है। वास्तव में इसमें दिनांक 03.06.2020 की सूचना का संदर्भ दिया गया है, जो कि दिनांक 22.02.2019 के सरकारी आदेश के अनुसरण में है, जिसमें पाया गया कि अतिरिक्त 130 पद, जो भरे नहीं गये थे, उन्हें भरने पर विचार करना आवश्यक है। अतिरिक्त 58 पदों के साथ जो चयन प्रक्रिया के लम्बित रहने के दौरान रिक्त हो गये हैं।

12. इस न्यायालय का यह मत है कि सूचना दिनांकित 24.06.2021 जिसे निदेशक कृषि द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग को जारी किया गया है। विज्ञापन दिनांकित 02.08.2019 द्वारा विज्ञापित की गयी रिक्तियों को बनाये रखने के लिये याचिकाकर्ताओं के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वह रिक्तियां बनाये रखने का दबाव डाल सके, क्योंकि यह केवल सिफारिश थी, जिसे कृषि निदेशक द्वारा सचिव, अधीनस्थ चयन आयोग को भेजा गया था और यह विभाग के दो अधिकारियों के बीच विशेषाधिकार संप्रेषण है,

जिससे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होता।

13. इसलिये वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्क और मांगे गये अनुतोष की प्रकृति को देखते हुये, इस न्यायालय का यह मत है कि विवादित आदेश दिनांकित 16.12.2020 के अनुसार जिन पदों को भरने की आकस्मिक आवश्यकता थी, उनकी संख्या में कमी के पर्याप्त कारण थे, इस तथ्य के अलावा यह है कि उक्त कार्यवाही स्वयं विज्ञापन दिनांक 02.08.2019 के खण्ड 26 द्वारा कवर की गयी थी। आपेक्षित सूचना दिनांक 16.12.2020 से याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी रूप से निहित अधिकार का उल्लघंन नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, रिट याचिका में गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(जस्टिस शरद कुमार शर्मा,)

एन.आर/ 14.07.2021